बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–21/2022 144 /पटना, दिनांकः– 08/02/24

कार्यालय आदेश

श्री महेन्द्र कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास, सासाराम के विरूद्ध फसल सांख्यिकी सुधार योजना अंतर्गत कृषि वर्ष 2021–22 के भदई मौसम के क्षेत्रफल परिगणना के प्रतिदर्श जाँच की अनुसूचियाँ–1.0 में मनगढंत, त्रुटिपूर्ण एवं अधूरी सूचना अंकित कर राष्ट्रीय प्रतिदर्श कार्यालय, फरीदाबाद तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित किये जाने संबंधी आरोप के आलोक में गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत श्री कुमार से निदेशालय के पत्रांक–146 दिनांक–17.01.2022 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अभ्यावेदन असंतोषजनक पाये जाने के कारण उसे अस्वीकृत करते हुए श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध निदेशालय के का०आ०सं०–346 सहपठित ज्ञापांक–1901 दिनांक–07.11.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), रोहतास, सासाराम को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–2814/रा० दिनांक–13.11.2023 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :–

"(i) प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रस्तोता पदाधिकारी के अभिकथन के जाँचोपरांत आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–01 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(ii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–02 प्रमाणित होता है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–03 प्रमाणित होता है।

(iv) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–04 प्रमाणित होता है।

(v) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–05 प्रमाणित होता है।

(vi) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–06 प्रमाणित होता है।

(vii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–07 प्रमाणित होता है।

(viii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–08 प्रमाणित होता है।

(ix) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–09 प्रमाणित होता है।

(x) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–10 प्रमाणित होता है।

(xi) आरोपी पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के दिशा–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने में शिथिलता बरती गयी है। अतएव आरोपी पदाधिकारी पर आरोप संख्या–11 प्रमाणित होता है।''

3. श्री महेन्द्र कुमार के विरूद्ध ''आरोप संख्या–01 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है एवं शेष अन्य सभी आरोप प्रमाणित होता है'', के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री महेन्द्र कुमार ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

''बिन्दु 01 से 11 तक का सभी आरोप फसल सांख्यिकी सुधार योजना अंतर्गत अनुसूची 1.0 (क्षेत्रफल परिगणना की प्रतिदर्श जाँच) के कुछ कॉलम में भरने के क्रम में पायी गयी त्रुटियों से संदर्भित है। यह भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुसूची भरने के पूर्व के दो वर्षों यथा–2020 तथा 2021 में कोरोना महामारी के कारण भौतिक उपस्थिति के साथ निदेशालय या जिला स्तर पर कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं कराया गया। अनुसूची भरने के क्रम में कुछ कॉलम रिक्त या आंशिक रूप से अशुद्ध होने का एक कारण Refresher Course का नहीं होना भी है। जाँच के क्रम में निदेशालय में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु उनके द्वारा अनुरोध भी किया गया तथा भविष्य में ऐसी भूल की पुनरावृति नहीं होने का अनुरोध भी किया गया, परन्तु आरोप गठन के क्रम में पदाधिकारी द्वारा उनके पारिवारिक तथा व्यक्तिगत मतभिन्नता के कारण उनके आवेदन पर तत्क्षण विचार नहीं कर उन्हें हानि पहुँचाने के उद्देश्य से आरोप गठित कर दिया गया। उपरोक्त सभी आरोप एक मात्र अनुसूची 1.0 के कुछ कॉलमों में आंशिक अशुद्धियों का विस्तृत विवरण है जिसे आरोप को लम्बा करना मात्र है।

साथ ही श्री कुमार ने उल्लेख किया है कि ऐसी भूल की पुनरावृति भविष्य में उनके द्वारा नहीं की जायेगी''।

श्री महेन्द्र कुमार के द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने अभ्यावेदन में किया गया है। उनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख किये गये तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा भदई मौसम कृषि वर्ष 2021–22 के फसल सुधार योजना के क्षेत्रफल परिगणना के परिदर्श जाँच की अनुसूची 1.0 भरकर भेजने में गलती की गई है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः श्री कुमार का अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए तथा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री महेन्द्र कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास, सासाराम पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–21/2022 1270/पटना, दिनांकः– 08/02/24

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक (सां०), पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री महेन्द्र कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

8/2/24

निदेशक